पटना में दिनांक—16 सितम्बर, 2014 मंगलवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

गृह विभाग
(आरक्षी)

1.	श्री अशोक कुमार खरे, सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक (सम्प्रति पुनर्नियुक्ति के आधार पर कार्यरत) की पुनर्नियुक्ति की अवधि दिनांक—31.08.2017 (65 वर्ष की आयु सीमा) तक विस्तारित करने की स्वीकृति के संबंध मे।	1.	स्वीकृत।

गृह विभाग
(आरक्षी)

2.	बिहार अग्निशमन सेवा के विस्तार के फलस्वरूप 881 पुलिस थानों में एक—एक अदद मिस्ट टेक्नोलॉजी का अग्निशमन वाहन हेतु अग्निक चालक (सिपाही चालक की कोटि) के 969 पद एवं अग्निक (फायर मैन) (सिपाही की कोटि) के 1938 कुल 2907 पदों का सृजन के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

3.	केन्द्र प्रायोजित योजना "राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (RGPSA)" के अंतर्गत HR Agency के माध्यम से कर्मियों का नियोजन तथा तत्काल बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के दिशा निदेशों के अनुसार जिला पदाधिकारी के स्तर पर संधारित कार्यपालक सहायकों के पैनल से एक कार्यपालक सहायक की बहाली की स्वीकृति के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

5.	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना में मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर पुनर्नियुक्त श्री सतीश सिंह ठाकुर की सेवा दिनांक—20.10.2014 के उपरान्त एक वर्ष के लिए दिनांक—20.10.2015 तक पूर्व निर्धारित शर्त्तों पर विस्तारित किये जाने के संबंध में।	5.	स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

6. बिहार उर्दू अकादमी पटना को वित्तीय वर्ष 2014–15 में सहायक अनुदान वेतन हेतु रू० 38,38,000/– (अड़तीस लाख अड़तीस हजार रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

6. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

7. वित्तीय वर्ष 2014–15 में पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार पटना को गैर योजना मद के अन्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित कुल रू० 1,93,63,000/–(एक करोड़, तिरानबे लाख, तिरेसठ हजार) रूपये में से इकाई संख्या–31 04 वेतन मद में रू० 94,81,718/–(चौरानवे लाख, इक्यासी हजार, सात सौ अटारह) रूपये मात्र और इकाई संख्या–31 06 वेतनादि के अलावा मद में रू० 23,70,430/–(तेईस लाख, सत्तर हजार, चार सौ तीस), कुल रू० 1,18,52,148/–(एक करोड़ अठारह लाख, बावन हजार, एक सौ अड़तालिस) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

7. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

8. चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना को गैर योजना मद में सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित राशि रू० 2,03,88,000/–(दो करोड़ तीन लाख अठासी हजार) रूपया मात्र में से रू० 1,77,39,804/–(एक करोड़ सतहत्तर लाख उनचालिस हजार आठ सौ चार) रूपया मात्र को विषय शीर्ष 31 04 सहायक अनुदान–वेतन मद में रू० 96,41,370/–(छियानवे लाख एकतालिस हजार तीन सौ सत्तर) एवं विषय शीर्ष 31 06, सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा मद में रू० 80,98,434/–(अस्सी लाख अन्ठानवे हजार चार सौ चौंतीस) रूपया मात्र स्वीकृत करने के संबंध में।

8. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

9. चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना को गैर योजना मद में सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित राशि 1,83,07,000/–(एक करोड़ तिरासी लाख सात हजार) रूपया मात्र में से विषय शीर्ष 31 04 वेतन मद में उपबंधित राशि 99,91,000/–(निनानवे लाख एकानवे हजार) रूपया मात्र स्वीकृत करने के संबंध में।

9. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

10. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना को वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्थापना व्यय हेतु ₹ 1,00,00,000/–(एक करोड़ रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 10. स्वीकृत।

गन्ना उद्योग विभाग

11. वर्ष 2014–15 में राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम का कुल 10496.10 लाख रू० (एक सौ चार करोड़ छियानवें लाख दस हजार रू०) मात्र की लागत पर कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति। — 11. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

12. मुजफ्फरपुर पथ प्रमंडल सं०–2 के अन्तर्गत शिवहर–मीनापुर पथ के कि०मी० 21वें से 33वें तक (कुल 13.00 कि०मी०) पथांश लंबाई में पुल–पुलिया निर्माण सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 2137.284 लाख (इक्कीस करोड़ सैंतीस लाख अठाईस हजार चार सौ) रूपये के पुनरीक्षित अनुमानित व्यय पर करने की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

13. वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक अवकृष्ट वनों के पुनर्वास योजनान्तर्गत विभिन्न प्रमण्डलों के अधिसूचित वन भूमि पर भू–जल संरक्षण एवं वनरोपण हेतु कुल राशि ₹ 7702.14 लाख (सतहत्तर करोड़ दो लाख चौदह हजार ₹) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2014–15 में मात्र ₹ 1550.00 लाख (पन्द्रह करोड़ पचास लाख ₹) के व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 13. स्वीकृत।

कृषि विभाग

14. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–7566 दिनांक–14.07.10 के आलोक में दिनांक–01.01.2009 से रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली 2010 का लाभ राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय एवं उसके अंगीभूत महाविद्यालयों/संस्थानों के शिक्षकेत्तर पदाधिकारियों/कर्मचारियों को देने के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग
(कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय)

15. वित्तीय वर्ष 2014–15 में कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के राज्यस्तरीय मुख्यालय के स्थापना मद में कुल 100.00 लाख रूपये की स्वीकृति तथा सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, पटना, गण्डक कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, मुजफ्फरपुर, कोशी कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, सहरसा एवं किउल–बदुआ–चान्दन कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण, भागलपुर के अन्तर्गत विभिन्न चालू योजनाओं यथा सोन, उत्तर कोयल, गण्डक, कोशी, किउल, बदुआ एवं चान्दन के कार्यान्वयन हेतु सृजित स्थापना एवं कार्य मदों में क्रमशः 6400.00 लाख रूपये एवं 5000.00 लाख रूपये सहाय्य अनुदान की स्वीकृति अर्थात कुल 11500.00 लाख रूपये (एक अरब पन्द्रह करोड़ रूपये) की स्वीकृति।

15. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

16. स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMSICL), पटना के लिये कुल 80 पदों के सृजन की स्वीकृति।

16. **स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

17. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006/2011 के अन्तर्गत घोषित रियायतें एवं देय सुविधाओं की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹ 390.00 (तीन सौ नब्बे) करोड़ मात्र के सब्सिडी/अनुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव।

17. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

18. विश्व बैंक सम्पोषित National Ganga River Basin Authority Project के अन्तर्गत पटना पहाड़ी जोन–V, जोन– IV-A में सिवरेज नेटवर्क एवं ट्रीटमेंट प्लांट के अधिष्ठापन हेतु तीन योजनाओं पर कुल ₹ 513.2658 करोड़ (पाँच सौ तेरह करोड़ छब्बीस लाख अंठावन हजार रूपये मात्र) की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

18. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

19. पटना में डिजाईन, निर्माण, वित्त, संचालन एवं हस्तांतरण (DBFOT) आधार पर जन–निजी भागीदारी के अन्तर्गत आधुनिक वधशाला (Abattoir) विकसित कराने हेतु कंसेसन एग्रीमेंट एवं कार्य आवंटन पर राज्य सरकार की स्वीकृति के संबंध में।

19. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

20. बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा दलपतपुर आरा में 16.50 एकड़ जमीन पर रू० 475.82 करोड़ की लागत से 1054 फ्लैट के निर्माण की योजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — 20. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

21. वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल ₹ 200.00 लाख (दो करोड़) मात्र की अनुमानित लागत पर राज्य योजनान्तर्गत राज्य के 86 गोशालाओं में से द्वितीय चरण में 10 (दस) गोशालाओं को प्रति गोशाला अधिकतम ₹ 20.00 लाख (बीस लाख) अनुदान देकर विकास की योजना की स्वीकृति। — 21. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

22. डा० सुनील कुमार पटेल, तत्कालीन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, बांके बाजार, गया सम्प्रति भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी, वजीरगंज, गया की नियुक्ति रद्द करने के संबंध में। — 22. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

23. बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत और सेवानिवृत पदाधिकारियों को चिकित्सा की स्वीकृति एवं प्रतिपूर्ति संबंधी प्रक्रिया का सरलीकरण करने के संबंध में। — 23. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

24. बिहार दन्त सेवा नियमावली, 2014 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। — 24. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

25. बिहार स्वास्थ्य क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2014 की स्वीकृति। — 25. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

26. पूर्वी चम्पारण जिले के अंचल–संग्रामपुर, मौजा–बरियारिया, थाना सं०–171, खाता सं०–539, खेसरा सं०–2428/1, रकबा–0.50 एकड़ गैरमजरूआ आम किस्म रास्ता भूमि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु 2,25,000 (दो लाख पच्चीस हजार) रूपया सलामी एवं सलामी के 2% का 25 गुणा अर्थात् 1,12,500 पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 3,37,500 (तीन लाख सैंतीस हजार पांच सौ) रूपयों के भुगतान पर नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०, पटना को स्थायी हस्तान्तरण। — 26. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

27. दिनांक–24.06.2014 को राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति से अनुमोदित मिशन मानव विकास की कार्य योजना एवं इसमें सन्निहित वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक कुल 1,19,19,884.00 (एक करोड़ उन्नीस लाख उन्नीस हजार आठ सौ चौरासी) लाख रूपये मात्र की लागत पर सैद्धान्तिक स्वीकृति तथा विभिन्न सूचकांकों के कार्यान्वयन हेतु चयनित योजनाओं का उद्व्यय तथा बजट उपबंध प्राप्त कर सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति उपरान्त कार्यान्वयन की स्वीकृति।

27. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

28. भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती अंचल के मौजा–सिरमतपुर थाना सं०–78, खाता सं०–2649, खेसरा सं०–4352, रकबा–1.62 एकड़ किस्म बाँध अनाबाद बिहार सरकार भूमि 58,32,000 (अंठावन लाख बत्तीस हजार) रू० सलामी एवं सलामी के 5% का 25 गुणा अर्थात् 72,90,000 (बहत्तर लाख नब्बे हजार) रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 1,31,22,000 (एक करोड़ इकतीस लाख बाईस हजार) रू० के भुगतान पर पीरपैंती थर्मल पावर की स्थापना हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई०डी०ए०) को इस शर्त्त के साथ हस्तान्तरण कि यह भूमि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड को तभी उपलब्ध करायी जायेगी जब निजी निवेशकर्त्ता के चयन के उपरान्त उनसे यह राशि वसूल कर उनके द्वारा आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई०डी०ए०) को उपलब्ध करायी जायेगी।

28. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

29. पूर्णियाँ जिलान्तर्गत धमदाहा अंचल के मौजा–चिकनी, थाना नं०–119, खाता नं०–666 के खेसरा सं०–2131 एवं 2611 रकबा क्रमशः– 3.60 एवं 1.40 एकड़ कुल रकबा–5. 00 एकड़ गैरमजरूआ खास बिहार सरकार की भूमि 4200 रू० प्रति डिसमिल की दर से 21,00,000/–रू० (इक्कीस लाख रूपए) सलामी एवं सलामी का 5 प्रतिशत व्यवसायिक लगान का 25 गुणा 26,25,000/–(छब्बीस लाख पच्चीस हजार) रू० के पूंजीकृत मूल्य सहित कुल 47,25,000/–(सैंतालीस लाख पच्चीस हजार) रू० राज्य योजनान्तर्गत भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को ग्रिड निर्माण हेतु स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

29. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

30. भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती अंचल के मौजा–हरिणकोल थाना सं०–81 खाता सं०–684 खेसरा सं०–क्रमशः 1650, 1743, 1848, 504/2034, 513, 524, 601, 789, 1065, 625/2008, 1267, 849/2019, रकबा–क्रमशः–0.73 एकड़, 2.245 एकड़, 0.48 एकड़, 0.90 एकड़, 0.73 एकड़, 1.21 एकड़, 0.90 एकड़, 0.41 एकड़, 0.09 एकड़ 10.50 एकड़, 0.45 एकड़, 0.56 एकड़, कुल रकबा–19.205 एकड़ किस्म क्रमशः भीठ II पहाड़ी, परती, पुंरानी परती परती भीठ II नाला, पुरानी परती, नाला, पुरानी परती, नाला, नाला, पुरानी परती अनाबाद बिहार सरकार भूमि 4,60,92,000 (चार करोड़ साठ लाख बानवे हजार) रूपया सलामी एवं सलामी के 5% के 25 गुणा अर्थात् 5,76,15,000 (पाँच करोड़ छिहत्तर लाख पन्द्रह हजार) रूपया पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 10,37,07,000 (दस करोड़ सैंतीस लाख सात हजार) रूपये के भुगतान पर पीरपैंती थर्मल पावर की स्थापना हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई०डी०ए०) को इस शर्त्त के साथ हस्तान्तरण कि यह भूमि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड को तभी उपलब्ध करायी जायेगी जब निजी निवेशकर्त्ता के चयन के उपरान्त उनसे यह राशि वसूल कर उनके द्वारा आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई०डी०ए०) को उपलब्ध करायी जायेगी।

30. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

31. श्री रंजीत प्रसाद, तत्कालीन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, गोपालगंज को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के संबंध में।

31. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

32. पटना नगर निगम (पशु मांस, मछली या कुक्कुट विक्रय) अनुज्ञप्ति विनियम, 2014 की स्वीकृति के संबंध मे।

32. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

33. राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों/अस्पतालों के लिए दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने हेतु भारत सरकार के अधिसूचित Public Sector Undertakings तथा राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा निर्धारित एवं चयनित आपूर्तिकर्त्ताओं से मनोनयन के आधार पर दवाएं लेने की स्वीकृति।

33. स्वीकृत।